कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2022/794 लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल 2022

यू0पी0नीट पी0जी0 2021 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थियों की ReJoining के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 की द्वितीय चक्र की स्टेट कोटा काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा नीट पी0जी0 2021 के ऑल इण्डिया मॉप–अप राउण्ड में सम्मिलित होने हेतु अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया गया था।

मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी 10651/2022 इन रिट पिटीशन (सी) संख्या–202/2022 डा0 सूरज शेटे बनाम द मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.4.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:–

However, since the proceedings were mentioned before this Court yesterday, prior to the expiry of the deadline and were directed to be listed today before the Court, it would be necessary to protect the students by directing that it would be open to the students to rejoin the allotted courses in round 2 of the State round of counseling on or before 5 pm on 9 April 2022. Ordered accordingly.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 07.4.2022 के क्रम में यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 की द्वितीय चक्र की स्टेट कोटा काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने नीट ऑल इण्डिया पी0जी0 2021 के मॉप–अप राउण्ड में सम्मिलित होने हेतु अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया गया था, को सूचित किया जाता है कि वह सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आवंटित पाठ्यक्रम में दिनांक 09.4.2022 को सायं 5:00 बजे तक पुनः प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

महानिदेशक।